प्राक्कथन

वर्तमान अध्ययन इस आवश्यकता की अनुभूति का एक प्रयास है कि शिक्षित महिला पुलिस सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जीवन शैली एवं व्यवहार प्रतिमान के एक नितान्त नवीन प्रतिमान का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय धर्म की आधारभूत मान्यताओं, विश्वास एवं मूल्य के अनुरूप जीवन यापन महिलाओं के लिए अपेक्षित रहा है। सामाजिक प्रथा की आधुनिक औपचारिक शिक्षा के अभाव ने महिलाओं की परम्परागत भूमिका को परिवार की चहारदीवारी तक ही केन्द्रित रखा। धर्म भीरू समाज ने भारतीय शिक्षित महिलाओं से यह अपेक्षा की कि वे धार्मिक विश्वासों के अनुरूप जीवन यापन करती रहे। सामाजिक जीवन में उनकी सहभागिता की कल्पनायें नहीं की जा सकती किन्तु आधुनिक भारतीय समाज में परिवर्तन की नवीन शक्तियों पर विशेष रूप से शिक्षा, नगरीकरण, रोजगार के अवसरों की वृद्धि, पाश्चात्य सांस्कृतिक मूल्य और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने समाज के प्रत्येक अंग को प्रभावित किया है।

भारतीय समाज में नारी की भूमिका सदा से विवादास्पद रही है। सम्प्रत नये रोजागारों में महिलाओं के कार्योजित होने से उनकी भूमिका की नयी परिभाषा होने लगी है। कार्योजित महिलाओं की भूमिका दोहरी होती है। एक

ओर वह गृहणी होती है, दूसरी ओर वेतनभोगी कार्योजित सदस्य। दोहरी भूमिका के कारण वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में सामंजस्य के नये प्रारूपों की समस्या उठ खड़ी होती है।

अनुसंधान द्वारा नये आंकड़ों की खोज, पुराने आंकड़ों का एवं पुराने सिद्धान्तों की समीक्षा दी जाती है। वर्तमान अध्ययन वर्णनमूलक है। इस विवादास्पद विषय पर आंकड़ें (साक्षात्कार अनुसूची और वैयक्तिक इतिहास विधि द्वारा) एकत्रित करके वर्णन प्रस्तुत करना अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य रहा है। हमने अपने विषय पर केवल मौलिक आंकड़ा संकलन और उनके विश्लेषण तक अपने योगदान को परिसीमित रखा है। किसी सिद्धान्त का निर्माण नहीं किया है।

कार्योजित महिला पुलिस से सम्बन्धित देश-विदेश के अनुसंधान कार्यों में पारिवारिक समायोजन की समस्या को नहीं उठाया है। विदेशी अनुसन्धान कार्यों में वैवाहिक समस्याओं को पारिवारिक समस्या मान लिया गया है, लेकिन भारतीय परिस्थिति में परिवार पर समस्त समाज और परम्पराओं का प्रोजेक्शन होता है। अतः कार्योजित महिला पुलिस के दोहरी भूमिका को परिप्रेक्ष्य में रखकर देखना आवश्यक है। इससे यह ज्ञात होता है कि परिवार कहां तक कार्योजित महिला पुलिस की दोहरी भूमिका में सहायक या बाधक है। हमने इस पूर्वानुमान से कार्य करना प्रारम्भ किया है कि महिला पुलिस के

कार्योजित होने के कारण वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में समायोजन के नये संरूप उभरते हैं जिससे महिला पुलिस कार्योजन छोड़ नहीं रही हैं और परिवार उनसे कार्योजन छुड़ा नहीं रहा है। कार्योजित महिला पुलिस परिवार की स्थिति को सुदृढ़ करती है और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाती है। आर्थिक स्वावलम्बन और आत्मपूर्ति का अनुभव करती है। भारत जैसे परम्परागत समाज में ऐसा समझा जाता रहा है कि महिला पुलिस के कार्योजन को पारिवारिक समर्थन नहीं आयेगा, लेकिन हमारे आंकड़ों से यह प्रमाणित होता है कि पति और परिवार कार्योजित महिला पुलिस को उनकी दोहरी भूमिका निर्वाह करने में समर्थन प्रदान करते हैं। पत्नी के रूप में गृहणी परिवार का प्रकार्यात्मक केन्द्रबिन्दु होती है। कार्योजन के पश्चात् परिवार में वह अंशकालीन भूमिका निभाती है। इस कारण समायोजन की जो नयी समस्याएं उठ खड़ी होती है उनसे पारिवारिक सदस्य नये प्रकार का समायोजन स्थापित कर रहे हैं।

मनोज कुमार मिश्र

शोध छात्र